न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/215/2021	2021/521	21.12.2021	26.04.2022

—उनवान—

1. समयदीन खान पुत्र सुबान जाति मुसलमान निवासी ग्राम बिलेटा तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर।
2. अन्नापूर्णा महिला सहकारी समिति लिमिटेड, ग्राम पंचायत बिलेटा तहसील रैणी जिला अलवर जरिये अध्यक्ष श्रीमति रीना गुर्जर पत्नी नवल किशोर गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम खरखेड़ी तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

—रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 28.12.2016 जिला रसद अधिकारी, अलवर बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 1736/17 रिमाण्ड आदेश दिनांक 08.12.2021 न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।

उपस्थितः—
01. श्री हेमराज गुप्ता —वकील अपीलान्ट
02. श्री विभागीय पैरोकार —रैस्पोडेन्ट सं0 1

—:: निर्णय ::—

यह अपील रिमाण्ड आदेश दिनांक 08.12.2021 न्यायालय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर जिसके द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 24.07.2018 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उचित मूल्य दुकान हेतु विभागीय आवंटन दिशा—निर्देश दिनांक 09.05.2015 के संदर्भ में उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत प्रकरण को पुनः देखा जाये और उचित व न्यायसंगत निर्णय पारित किया जावें। अपील पुनः दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर उभय—पक्षकारान् को जरिये सम्मन तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा रिक्त व नवसृजित दुकानों के लिए दिनांक 03.03.2015 को विभागीय दिशा—निर्देश दिनांक 09.05.2015 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारियों को सशुल्क आवेदन पत्र दिनांक 15.04.2015 तक प्राप्त किये जाकर दिनांक 30.04.2015 तक संबंधित जिला रसद कार्यालय में जमा कराने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी। ग्राम पंचायत बिलेटा के लिए 1/2—1/3 भाग की विज्ञप्ति निकाली। अपीलांट के अलावा अन्य सात व्यक्तियों के द्वारा आवेदन किया गया। दिनांक 02.09.2016 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आहुत की गयी। जिसमें आठ आवेदनकर्ता उपस्थित हुए। दिनांक 28.12.2016 को जिला कलक्टर (रसद) अलवर द्वारा चयन सूची के क्रम सं0 53 पर अप्रार्थी सं0 2 एव क्रम संख्या 54 पर छोटेलाल यादव का चयन किया गया। जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि सक्षम न्यायालय में अपील दायर करें। न्यायालय जिला कलक्टर अलवर ने अपील पेश करने पर मूल अपील अपीलांट को वापस लौटा दी गयी। अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि विवादित आदेश दिनांक 24.07.2018 एवं आदेश दिनांक 28.12.2016, 6.07.2017 को प्राधिकार पत्र जारी जिला रसद अधिकारी अलवर के आदेश प्रावधानों के विपरित एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विज्ञप्ति अनुसार अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ मांगी गयी योग्यता एवं शर्तानुसार दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न किये थे। अप्रार्थी सं0 2 अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति ने दस्तावेज आवेदन के साथ अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन जो सहकारी विभाग द्वारा जारी किया गया है। सहकारी विभाग पंजीयन के समय 11 सदस्य महिलाओं के रूप में दर्शाये गये पंजीकरण के समय बलराम गुर्जर का कहीं भी उल्लेख नहीं था ना ही उक्त संस्था में कहीं पर दर्शाया गया था। अप्रार्थी सं0 2 ने आवेदन में रीना देवी अध्यक्ष तथा आशा देवी सचिव एवं बलराम गुर्जर प्रबंधक के रूप में दर्शाया गया है। रीना देवी के पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। पंजीकरण प्रमाण पत्र उप—रजिस्ट्रार सहकारी समिति अलवर के द्वारा दिनांक 27.08.2014 को जारी किया

गया था। जबकि विज्ञप्ति दिनांक 03.03.2015 को निकाली गयी है। सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 09.05.2015 के पेरा सं0. 4 में चयन प्रकिया एवं प्राथमिकता के पैरा नं0 2 में लिखा है कि महिला स्वंय सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से अथवा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव हो। इसी प्रकार परिपत्र दिनांक 17.03.2016 राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश में भी स्पष्ट है कि तीन वर्षों का अनुभव एवं महिला अधिकारिता विभाग से चयनित एवं मान्यता प्राप्त हो।

अतः अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2016 प्राधिकार पत्र संख्या 1736/17 जारी दिनांक 06.07.2017 निरस्त फरमावा जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों का अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 09.05.2015 के बिन्दू संख्या 4 में प्राथमिकताओं का जिकर किया गया है। रैस्पो0 सं0 2 द्वारा विभागीय दिशा–निर्देश के बिन्दू सं0 4 में वर्णित प्राथमिकता क्रम सं0 1 के अन्तर्गत नहीं आती है। क्योंकि अन्नपूर्णा महिला समिति ना तो ग्रम सेवा समिति और ना ही दूग्ध उत्पादन सहकारी समिति है जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो। अप्रार्थी सं0 2 को जारी प्राधिकार पत्र विधि विरूद्ध है। जिसे निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि जिला रसद अधिकारी ने बिना जांच किये अयोग्य संस्था को प्राधिकार पत्र जारी किया गया है। प्रस्तुत प्ररकण का विश्लेषण किये जाने पर पाया गया कि विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 09.05.2015 के बिन्दू संख्या 4 में प्राथमिकताओं के आधार पर अप्रार्थी सं0 2 अर्थात् अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति विभागीय दिशा–निर्देश के बिन्दू सं0 4 में वर्णित प्राथमिकता के क्रम सं0 1 के अन्तर्गत नहीं आती है। क्योंकि अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति ना तो ग्रम सेवा समिति है और ना ही दूग्ध उत्पादन सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो। अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति विभागीय बिन्दू सं0 4 में वर्णित क्रम सं0 2 के अन्तर्गत भी नहीं आती है। क्योंकि इसका महिला अधिकारिता विभाग से भी पंजीकरण नहीं है एवं उक्त संस्था को तीन वर्ष का कार्य अनुभव भी नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति लिमिटेड़, ग्राम पंचायत बिलेटा को जिला कलक्टर (रसद) अलवर द्वारा दिनांक 28.12.2016 द्वारा चयन कर जारी प्राधिकार पत्र संख्या 1736/17 दिनांक 06.07.2017 निरस्त किया जाता है। साथ ही जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है उक्त उचित मूल्य दुकान की नये सिरे से विज्ञप्ति जारी कर पुनः चयन करने की कार्यवाही की जावें व नवीन उचित मूल्य दुकानदार का चयन होने तक वैकल्पिक वितरण व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 26.04..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)